ऑस्ट्रेलिया में घरेलू और पारिवारिक हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है

क्या आपका पार्टनर (पति या बॉयफ्रेंड) या परिवार का कोई सदस्य:

- ☐ आपको या आपके बच्चों को डराता है?
- ☐ आपको या आपके बच्चों को मारता या नुकसान पहुँचाता है?
- ☐ उस स्थिति में भी आपसे संभोग (सेक्स) करने की मांग करता है जब आप इसे नहीं करना चाहती हों?
- ☐ चिल्लाता है, चीज़ें फेंकता है, या चीज़ें तोड़ता है?
- ☐ आपको अपमानित करता है या आपको ऐसा महसूस कराता है जैसे आप कोई मायने नहीं रखती हैं?
- ☐ आपको आपके अपने पैसे तक पहुँच प्राप्त करने से रोकता है?
- ☐ आपको घूमने जाने या लोगों से मिलने से रोकता है?

यदि आपने इनमें से किसी का जवाब ‘हाँ’ में दिया है, तो हो सकता है कि आप घरेलू एवं पारिवारिक हिंसा सहते हुए जीवन जी रही हों।

आपके पास अधिकार हैं। घरेलू एवं पारिवारिक हिंसा गैर-कानूनी है। कानून सभी को संरक्षित करता है, इसमें नए प्रवासी और अस्थायी वीज़ा धारक शामिल हैं।

सहायता उपलब्ध है। किसी डॉक्टर या स्वास्थ्य कर्मचारी से बात करें। हम आपकी सहायता करेंगे चाहे आप अपने रिश्ते में बने रहना चाहें या उसे छोड़ना चाहें।

कृपया अपनी भाषा में सहायता के लिए हमसे निःशुल्क पेशेवर दुभाषिया मांगें।

स्थानीय संपर्क (Local contact):

सेवा (Service):

फोन (Phone):

SHPN (MHCS) 230852-5

अन्य सहायता के लिए, 24-घंटे की हेल्पलाइनें उपलब्ध हैं:

1800RESPECT (1800रिसपेक्ट)	1800 737 732
NSW Domestic Violence Helpline (NSW घरेलू हिंसा हेल्पलाइन)	1800 65 64 63
Lifeline Australia (लाइफलाइन ऑस्ट्रेलिया)	13 11 14

अपनी भाषा में सहायता के लिए, अनुवाद एवं दुभाषिया सेवा (Translating and Interpreting Service, TIS) को 131 450 पर कॉल करें और हेल्पलाइन से बात करवाने के लिए कहें।

आपातकालीन या प्राणघातक स्थिति में 000 पर कॉल करें।

NSW GOVERNMENT